भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

वित्तीय सेवाएं विभाग

लोक सभा

तारांकित प्रश्न संख्या *227

जिसका उत्तर सोमवार, 17 मार्च, 2025/26 फाल्गुन, 1946 (शक) को दिया गया

पिछले दस वर्षों के दौरान बट्टे खाते में डाले गए ऋण

*227. श्री अमरा राम:

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) विगत दस वर्षों के दौरान बड़े कॉरपोरेट घरानों की ऐसी ऋण राशि का कंपनीवार ब्यौरा क्या है जिसे बट्टे खाते में डाला गया है;

(ख) औद्योगिक इकाइयों को पांच हजार करोड़ रुपए तक संवितरित बकाया ऋण राशि का कंपनीवार ब्यौरा क्या है;

(ग) उक्त बकाया राशि की वसूली के लिए क्या प्रयास किए जा रहे हैं;

(घ) देश में ऐसी कितनी फर्म और कंपनियां हैं जिनके संबंध में एक हजार करोड़ रुपए या उससे अधिक की एनपीए ऋण राशि देय है और तत्संबंधी एनपीए राशिवार ब्यौरा क्या है; और

(ड.) विगत दस वर्षों के दौरान कितनी कंपनियों के संबंध में ऋण की राशि बट्टे खाते में डाली गई है तथा तत्संबंधी कंपनीवार और राशिवार ब्यौरा क्या है?

उत्तर

वित्त मंत्री (श्रीमती निर्मला सीतारामन)

(क) से (ड.): एक विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है।

*****

"पिछले दस वर्षों के दौरान बट्टे खाते में डाले गए ऋण" के संबंध में श्री अमरा राम द्वारा पूछे गए दिनांक 17.3.2025 के लोक सभा तारांकित प्रश्न संख्या *227 के भाग (क) से (ड.) के उत्तर में उल्लिखित विवरण

(क) से (ड.): बैंक भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) के दिशानिर्देशों और बैंक के बोर्ड से अनुमोदित नीति के अनुसार अनर्जक आस्तियों (एनपीए), जिनमें, अन्य बातों के साथ-साथ, वैसे एनपीए भी शामिल हैं जिनके चार वर्ष पूरे होने पर पूर्ण प्रावधान किया गया हो, को बट्टे खाते डालते हैं। इस प्रकार बट्टे खाते डाले जाने से उधारकर्ताओं को देयताओं से छूट नहीं मिलती है और इसलिए बट्टे खाते डाले जाने से उधारकर्ताओं को कोई लाभ नहीं मिलता है। बैंक अपने पास उपलब्ध विभिन्न वसूली तंत्रों, जैसे सिविल न्यायालयों या ऋण वसूली अधिकरणों में वाद दायर करना, वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम के अंतर्गत कार्रवाई करना, दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता के अंतर्गत राष्ट्रीय कंपनी विधि अधिकरण में मामला दायर करना आदि के द्वारा उधारकर्ताओं के विरुद्ध आरंभ की गई वसूली की कार्रवाई जारी रखते हैं।

आरबीआई ने सूचित किया है कि वे कॉरपोरेट समूहों के संबंध में बट्टे खाते डाले गए ऋणों से संबंधित सूचना नहीं रखते हैं। तथापि, विगत दस वित्तीय वर्ष के दौरान 'बड़े उद्योगों और सेवाओं' से संबंधित एनपीए को बट्टे खाते डालने और अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों (एससीबी) द्वारा बट्टे खाते डाले गए कुल एनपीए का वर्ष-वार ब्यौरा **अनुबंध** में दिया गया है। आरबीआई ने यह भी सूचित किया है कि वित्तीय वर्ष के दौरान बट्टे खाते डाली गई ऋण राशि से संबंधित कंपनियों की संख्या का रख-रखाव इसके द्वारा नहीं किया जाता है। इसके अलावा, कंपनियों के नाम के संबंध में, आरबीआई अधिनियम, 1934 की धारा 45ङ के तहत उधारकर्ता-वार ऋण सूचना का प्रकटीकरण निषिद्ध है।

आरबीआई के आकंड़ों के अनुसार, दिनांक 31.12.2024 की स्थिति के अनुसार, अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों में 29 विशिष्ट उधारकर्ता कंपनियां हैं जिन्हें एनपीए के रूप में वर्गीकृत किया गया है और प्रत्येक का बकाया 1,000 करोड़ रुपए और अधिक है। इन खातों में समग्र बकाया 61,027 करोड़ रुपए था।

उधारकर्ताओं से बकाया राशि की वसूली करने के लिए बैंक उधारकर्ताओं को फोन करते हैं और बकाया राशि के भुगतान के संबंध में उधारकर्ताओं को ईमेल/पत्र भेजते हैं और चूक की राशि के आधार पर बैंक कॉरपोरेट उधारकर्ताओं के मामले में कॉरपोरेट दिवाला समाधान प्रक्रिया आरंभ करने के लिए राष्ट्रीय कंपनी विधि अधिकरण में भी जा सकते हैं। इसके अतिरिक्त, यदि ऋण खाता एनपीए के रूप में वर्गीकृत किया गया है तो बैंक अपने बोर्ड से अनुमोदित नीतियों के अनुसार वसूली की कार्रवाई आरंभ करते हैं, जिसमें, अन्य बातों के साथ-साथ, सिविल न्यायालयों या ऋण वसूली अधिकरणों में वाद दायर करना, वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम के अंतर्गत कार्रवाई करना शामिल है।

*****

अनुबंध

विगत दस वर्ष के दौरान बट्टे खाते डाले गए ऋणों के संबंध में लोक सभा तारांकित प्रश्न सं. *227

अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों द्वारा बट्टे खाते डाली गई अनर्जक आस्तियां (एनपीए)

(राशि करोड़ रुपए में)

वित्तीय वर्ष	**बट्टे खाते डाली गई कुल अनर्जक आस्तियां (एनपीए)**	**'बड़े उद्योग और सेवाओं' के संबंध में बट्टे खाते डाली गई अनर्जक आस्तियां (एनपीए)**
2014-15	58,786	31,723
2015-16	70,413	40,416
2016-17	1,08,373	68,308
2017-18	1,61,328	99,132
2018-19	2,36,265	1,48,753
2019-20	2,34,170	1,59,139
2020-21	2,04,272	1,27,050
2021-22	1,75,178	69,532
2022-23	2,16,324	1,14,528
2023-24	1,70,270	68,366

स्रोत: आरबीआई

*****